न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 153 /2019 (Bank Case)

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय– 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर–302004 राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अमित वर्मा

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री महेश चन्देल पुत्र श्री मोहन लाल (ऋणी)
   पता–1.मकान नं0 16, राजीव गांधी कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा–324007 राज0
   2.राजीव गांधी कच्ची बस्ती, गुमानपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा–324007, राजस्थान
2. श्री मोहन लाल चन्देल पुत्र श्री केसरी लाल (सहऋणी)
   पता–1.मकान नं0 26, राजीव गांधी कच्ची बस्ती, बल्लव बाडी, गुमानपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा–324007 राज0
   2.राजीव गांधी कच्ची बस्ती, आलोक मोमबत्ती के पीछे, बल्लव बाडी, गुमानपुरा, वार्ड नं0 47, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा–324007
3. सोनू पुत्र श्री राधा किशन (गारन्टर)
   पता–1.हनुमान मन्दिर के पास, बल्लभ बाडी, गुमानपुरा, रूपपुरा, कोटा–324007 राजस्थान
   2.422, बल्लभ बाडी, गुमानपुरा, वार्ड नंबर 47, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा–324007, राजस्थान

– अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित
श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 26 .02.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय– 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर–302004 राजस्थान में स्थित व कार्यरत हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 27.03.2018 को रूपये 2,00,000/–(अक्षरेः रूपये दो लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति कच्ची बस्ती, बल्लभ बाडी, गुमानपुरा,** तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान **पर स्थित हैं, माप लगभग 52.73 वर्ग गज है0** (जर्ये कार्यालय नगर परिषद कोटा के क्रमांक **एफ–211** आवंटन/**नगर परिषद दिनांक 18.11.88** द्वारा जारी आवंटन पत्र) तथा चतुर्थ सीमाऐं– पूर्व में चिरोजी लाल **का मकान, पश्चिम में प्रभू लाल** का मकान, उत्तर में छीतर लाल **का मकान व बिरधी लाल**

Scanned by CamScanner

की टपडी तथा दक्षिण में रोड हैं, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 15.01.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे 2,44,121/– (अक्षरे रूपये दो लाख चौवालिस हजार एक सौ इक्कीस मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.05.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 13.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 13.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 13.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति कच्ची बस्ती,** बल्लभ बाडी, गुमानपुरा, **तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान पर स्थित हैं,** माप लगभग 52.73 वर्ग गज है0 **(जर्ये कार्यालय नगर परिषद कोटा के क्रमांक एफ–211 आवंटन/**नगर परिषद दिनांक 18.11.1988 **द्वारा जारी आवंटन पत्र) तथा चतुर्थ सीमाऐं– पूर्व में चिरोजी** लाल का मकान, पश्चिम में **प्रभू लाल का मकान, उत्तर में छीतर लाल का मकान व बिरधी लाल की टपडी तथा दक्षिण में रोड हैं,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। **<u>साथ ही यह भी आदेश दिये जाते है कि कब्जा लेने से पूर्व सम्पत्ति के मालिकाना हक व स्वामित्व की जांच मौके पर की जाने उपरान्त ही कब्जा प्राप्त करें</u>** । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 26.02.2020 को सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner